

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-67/2018-19

छोटानागपुर कास्टकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

गिरीधारी भोगता वगैरह बनाम सुलगन देवी वगैरह

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

- (1) गिरीधारी भोगता, पिता- पिता-मनसा भोगता, एवं  
(2), दुर्गा देवी, पति-स्व० सिंथा भोगता ग्राम-शीशीटाड़ं,  
पंचायत-होटलो, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे, थाना-  
सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-भोगता, पेशा-खेती  
एवं गृहणी।

क्रेता का नाम एवं पता -

- (1) सुलगन देवी, पति-दयाल भोगता, (2) महेन्द्र  
भोगता, पिता-रामलाला भोगता, एवं (3) कोशल्य  
देवी, पति-स्व० टेपा भोगता, ग्राम-भेड़ियागढ़ा, सोनाहातु  
एवं घाधराडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति  
भोगता, पेशा-गृहणी एवं खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री सुरजलाल सिंह मुण्डा।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-05/05/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता (1) सुलगन देवी, पति-दयाल भोगता, (2) महेन्द्र भोगता, पिता-रामलाला भोगता, एवं (3) कोशल्य देवी पति-स्व० टेपा भोगता, ग्राम-भेड़ियागढ़ा, सोनाहातु एवं घाधराडीह, थाना- सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-भोगता, पेशा-गृहणी एवं खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
घाधराडीह	सोनाहातु	100	44	554	1.80 ए०

8

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे, से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे, का पत्रांक-400(ii) दिनांक-04/07/18 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम मुचिया भोगता वल्द दादु भोगता कौम भोगता है।
- (2) आवेदक खतियानी रैयत के पोता है। तथा आवेदिका खतियानी रैयत के पोता की पत्नी है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम मनसा भोगता वो नुनुआ भोगता, पिता-मुचिया भोगता है तथा रैयत के पास रकवा-7.36 एकड़ भूमि है।
- (4) जमीन का मालगुजारी वर्ष 2017-18 तक वसूली गई है।
- (5) आवेदक जमाबंदी रैयत के पुत्र है, एवं आवेदिका जमाबंदी रैयत की पुत्रवधु है, तथा खतियानी भूमि के आधार पर जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टॉड़ III किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा-5.56 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को परिवारीक खर्च तथा अन्य आवश्यक कार्य हेतु विक्रय करना चाहते है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही समुदाय अनुसूचित जाति (भोगता) के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना-सोनाहातु क्षेत्र अन्तर्गत के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता (1) गिरीधारी भोगता, पिता-मनसा भोगता, एवं (2) दुर्गा देवी, पति-स्व० सिंथा भोगता, ग्राम-शीशीटांड, पंचायत-होटलो, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, अनुमण्डल-बुण्डू, जिला-राँची जाति-भोगता, पेशा-खेती एवं गृहणी, को क्रेता (1) सुलगन देवी, पति-दयाल भोगता, (2) महेन्द्र भोगता, पिता-रामलाला भोगता एवं (3) कौशल्य देवी, पति-स्व० टेपा भोगता, ग्राम-भेड़ियागढ़ा, सोनाहातु, एवं घाघराडीह, थाना-सोनाहातु, अनुमण्डल बुण्डू, जिला-राँची, जाति-भोगता, पेशा-गृहणी एवं खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।




न्यायालय के द्वारा दिनांक-09/06/2018 को आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता (1) गिरीधारी भोगता, पिता-मनसा भोगता, एवं (2) दुर्गा देवी, पति-स्व० सिंथा भोगता, ग्राम-शीशीटांड, पंचायत-होटलो, पो०-राहे, प्रखण्ड-राहे, थाना-सोनाहातु, अनुमण्डल-बुण्डू, जिला-राँची जाति-भोगता, पेशा-खेती एवं गृहणी, को क्रेता (1) सुलगन देवी, पति-दयाल भोगता, (2) महेन्द्र भोगता, पिता-रामलाला भोगता एवं (3) कौशलया देवी, पति-स्व० टेपा भोगता, ग्राम-भेड़ियागढ़ा, सोनाहातु, एवं घाधराडीह, थाना-सोनाहातु, अनुमण्डल बुण्डू, जिला-राँची, जाति-भोगता, पेशा-गृहणी एवं खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

### भूमि का विवरण


मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
घाधराडीह	सोनाहातु/100	44	554	1.80 ए०

लेखापित एवं संशोधित।

  
27/02/18

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

  
27/02/18

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।